नम्बर मुकदमा 208/2023
हिमानी बिश्नाई बनाम लालचन्द

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 208/2023

हिमानी बिश्नोई पुत्री कुलदीप बिश्नोई जाति बिश्नोई सुथार उम्र 9 वर्ष निवासी वार्ड नं. 10, विक्रम मॉडल स्कूल के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुनीता पत्नी कुलदीप बिश्नोई पुत्री जगदीश जाति बिश्नोई सुथार उम्र 31 वर्ष निवासी हाल रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राज0)

— — प्रार्थी

बनाम

1. लालचंद पुत्र श्री रामजस पुत्र सांवल जाति बिश्नोई सुथार निवासी चक 1 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर। हाल 10 विक्रम मॉडल स्कूल के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर ।
2. कुलदीप बिश्नोई पुत्र श्री लालचंद जाति बिश्नोई सुथार निवासी चक 1 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर। हाल 10 विक्रम मॉडल स्कूल के पास, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर ।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री रामेश्वर लाल सुथार अधिवक्ता	— — प्रार्थी
2.	श्री सुरेश कुमार अरोड़ा अधिवक्ता	— — अप्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :–03.09.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि उपरोक्त अनवान का मूल दावा श्रीमान जी के न्यायालय में पेश हो चुका है जिसके समस्त तथ्य देखने मात्र से प्रार्थीया के पक्ष में डिक्री होने की पूरी पूरी सम्भावना है। उक्त दरखास्त भी [illegible] । मूल दावा का ही एक भाग है। अतः इस [illegible] [illegible]जी साक्ष्यो ताकि तथ्यो की पुनरावृत्ति ना हो। वाद पत्र में अंकित [illegible] एवं प्रार्थी के शपथ पत्र में अंकि[illegible] [illegible] हक में साबित 2– सुविधा का संतुलन, 3– अपूर्णी[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:32:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

–16644
79767 [illegible]

Scanned with CamScanner

है। अतः ताफैसला दावा ताफैसला स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थीया के पूर्वज स्व0 रामजस पुत्र सांवल कौम विश्नोई सुथार के नाम से चक 1 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 39, 40, 46, 41, 48, 49 कुल 71 बीघा 5 बिस्वा कृषि भूमि थी। जो उनकी मृत्यु के उपरांत जरिये इंतकाल संख्या 40 के उनके वारिसान लाधूराम, ठाकरराम, राजाराम, बहादर, ताराचंद व लालचंद के नाम से विरासतन दर्ज हुई तथा मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2015 के 4/23 में मृतक रामजस के वारिसान के नाम दर्ज हुई है। जमाबन्दी सम्वत 2015 व इंतकाल संख्या 40 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है। उक्त वारिसान द्वारा उक्त रकबा को आपसी सहमति व रजामंदी से किलावाईज विभाजन करवाया गया। विभाजन के उपरांत चक 1 एमएल के खाता संख्या 99/70 के मुरब्बा नं. 41, 47, 48 की कुल किता 16 में 3.060 है0 रकबा वादीया के दादा लालचंद अप्रार्थी संख्या 1 के नाम मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 में दर्ज हुआ। इस प्रकार प्रार्थीया के दादा अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त हुआ रकबा विरासतन प्राप्त हुआ। इस प्रकार उक्त कृषि इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज 3.060 है0 दर्ज रकबा में प्रार्थीया का जन्म से जददी जायदाद होने के कारण जन्म से हक व अधिकार है तथा प्रार्थीया का अपने दादा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज रकबा में प्रार्थीया के पिता कुलदीप बिश्नोई अप्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा बनता है तथा अपने पिता अप्रार्थी संख्या 2 के 1/3 हिस्सा कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा बनता है जिसकी प्रार्थीया घोषणा करवाने व अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अलग खाता कायम करवाकर उक्त रकबा दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। कब्जा उक्त कृषि भूमि का हिस्सा अनुसार चला आ रहा है अब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मन में गलत लालच आया हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आपस में मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से भूमि दर्ज होने के कारण भूमि को मुन्तकिल करने के प्रयास में है तथा कई लोगो को मौका पर ले जाकर भूमि दिखाई भी जा रही है यदि वह इसमें सफल हो गया तो प्रार्थीया को अपने हक व हिस्सा से वंचित होना पडेगा । अतः प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 1 के सुनीता विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अतः दरखास्त मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीयान इस अमर की सादिर की जावे कि अप्रार्थीगण चक 1 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 99/70 के मुरब्बा नं. 41, 47, 48 की कुल 3.060 है0 नहरी रकबा में प्रार्थीया के पिता के 1/3 हिस्सा रकबा में से प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा को बिना विधिवत विभाजन करवाये, प्रतिवादीगण रहन बैय मुन्तकिल करने, वादीया को बेदखल करने से बाज व ममनू रहे। रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाई रखी जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा[illegible] दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी [illegible] व 2 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. पेश किया [illegible] जिसमें [illegible]कित तथ्यानुसार मद संख्या 1 प्रार्थना पत्र में अंकित [illegible] गई तथ्य कि [illegible] श्रीमान [illegible]यालय में पेश हो चुका है, से कोई इन्कारी नहीं है, बाकी [illegible] जो इस मद में अंकित किए गए है, वह बावजह गलत ब्यानी होने [illegible] कारण स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र के डिक्री की लैश मात्र भी सम्भावना नहीं है और ना ही प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:32:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्र पत्र में अंकित तथ्यों को इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जाकर साथ पढ़ा जा सकता है तथा ना ही प्रार्थीया का कोई प्रथम दृष्टया केस बनता है और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है तथा ना ही अपूर्णीय क्षति का बिन्दु ही प्रार्थीया के पक्ष में है। प्रार्थीया किसी प्रकार की कोई अरथाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारिणी नहीं है। यह कि मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य बावजह गलत ब्यानी स्वीकार नहीं है, इन तथ्यों का सबूत प्रार्थीया से लिया जावे। यह कि मद संख्या 3 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य बावजह गलत ब्यानी स्वीकार नहीं है। उपरोक्त वर्णित भूमि अप्रार्थीगण को उसके पिता की मृत्यु के पश्चात् बतौर वारिस प्राप्त हुई। इस कारण उपरोक्त भूमि किसी भी प्रकार से जदी जायदाद की परिभाषा में ना आकर स्वअर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आती है, जब उक्त भूमि जद्दी जायदाद ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 2 को भी कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है और ना ही प्रार्थीया का उपरोक्त भूमि में जन्म से हक व अधिकार हासिल होता है। इस कारण इसी आधार पर भी प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किए जाने योग्य है। यह कि मद संख्या 4 प्रार्थना पत्र में जो वंशावली दिखाई गई है, वह सही नहीं है क्योंकि वंशावली अनुसार लाधुराम ठाकर राम, राजाराम, बहादर का देहान्त हो चुका है, उनके वारिसान को वंशावली में नहीं दिखाया गया है और ज्योति जो कि आवश्यक पक्षकार है उसे भी पक्षकार नहीं बनाया गया है, आवश्यक पक्षकार के अभाव में वर्तमान प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है, इस कारण इसी आधार पर ही प्रार्थना पत्र प्रार्थीया निरस्त किए जाने योग्य है। मद संख्या 5 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य बावजह गलत ब्यानी स्वीकार नहीं है, जैसा कि पूर्व की मदों के जवाब में विस्तारपूर्वक अंकित किया जा चुका है कि उपरोक्त वर्णित भूमि जद्दी जायदाद की परिभाषा में नहीं आती। इस कारण प्रार्थीया का उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार दादा व पिता के जीवनकाल में नहीं बनता और ना ही प्रार्थीया के पिता का ही कोई हक व हिस्सा बनता है, वैसे भी पिता के जीवनकाल में प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का ही कोई अधिकार नहीं है। इस कारण प्रार्थीया ना तो कोई प्रार्थना पत्र पेश करने की अधिकारी है और ना ही वह कोई घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीया इसी स्तर पर ही निरस्त होने योग्य है। मद संख्या 6 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य बावजह गलत ब्यानी स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया का कोई कब्जा उपरोक्त वर्णित आराजी के किसी हिस्सा पर नहीं है, कब्जा सम्पूर्ण वर्णित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का है और उसके द्वारा ही उक्त भूमि हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवाई जा रही है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 की कोई किसी मिलीभगत नहीं है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल से अप्रार्थी संख्या 2 को भी कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। इस मद के तथ्य प्रार्थीया ने झूठे व मनघढ़ंत मात्र प्रार्थना पत्र को रंग देने के लिए दर्ज किए गए है। अप्रार्थी संख्या 1 के स्वामित्व की भूमि के सम्बंध में प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार प्रार्थीया को नहीं है। यहां यह अंकित करना आवश्यक है कि प्रार्थीया की मां ने अप्रार्थी संख्या 2 को [illegible] तरह परित्याग कर रखा है और आपस में मुदकमेबाजी चल रही है। इस कारण उक्त मुकदमा पर दबाव बनाने के लिए प्रार्थीया की ओर यह [illegible] गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। [illegible] किया जाना भी आवश्यक है कि प्रार्थीया ने अपने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र में [illegible] भी यह अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:32:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

नहीं किया गया कि किस प्रकार से प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया केस बनता है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में किस प्रकार से प्रमाणित है, जबकि इन बिन्दुओं के अभाव में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीया निरस्त होने योग्य है। इस प्रकार से प्रार्थीया स्वच्छ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आई है, इस कारण भी प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थन पत्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई। वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि अप्रार्थी रिकॉर्ड खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व भूमि पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 बिना बंटवारा के बैचान कर अनुचित लाभ कमाने की फिराक में है। अतः प्रकरण में अन्तरिम स्थगन को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। **वकील अप्रार्थी की जवाब बहस यह रही कि** प्रार्थीया किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारिणी नहीं है। उपरोक्त वर्णित भूमि अप्रार्थीगण को उसके पिता की मृत्यु के पश्चात् बतौर वारिस प्राप्त हुई। इस कारण उपरोक्त भूमि किसी भी प्रकार से जदी जायदाद की परिभाषा में ना आकर स्वअर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आती है, जब उक्त भूमि जद्दी जायदाद ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 2 को भी कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है और ना ही प्रार्थीया का उपरोक्त भूमि में जन्म से हक व अधिकार हासिल होता है। इस कारण प्रार्थीया का उक्त भूमि में कोई हक व अधिकार दादा व पिता के जीवनकाल में नहीं बनता और ना ही प्रार्थीया के पिता का ही कोई हक व हिस्सा बनता है, वैसे भी पिता के जीवनकाल में प्रार्थीया को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का ही कोई अधिकार नहीं है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया का दादा हैं। प्रार्थीया द्वारा अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है। यह स्वीकृत तथ्य है कि विवाद पारिवारिक सदस्यों के मध्य है। इस स्थिति में पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता को रोकने के लिए, सम्पत्ति की संरक्षा के लिए एवम् वाद के न्यायनिर्णन हेतु प्रकरण में निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 19.09.2023 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 213/2023 बउनवान हिमानी बिश्नाई बनाम लालचन्द रहे।

आदेश आज दिंनाक 03.[illegible] को लिखाया [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.11.20 17:32:55 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner